(26)

न्यायालय मान.राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

प्र.क. निगरानी/टीकमगढ़/2017/
निगरानी 3620/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

गंगाराम पुत्र छुट्टी यादव
ग्राम रमपुरा तहसील मोहनगढ़
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश

---आवेदक

विरुद्ध

श्री जी.पी. नायक एड. द्वारा आज दि. 12.6.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 21-6-18 नियत। 12-6-18 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1- सरमन पुत्र जानकी अहिरवार
ग्राम रमपुरा तहसील मोहनगढ़
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश
2- मध्य प्रदेश शासन

----अनावेदकगण

(निगरानी अंतर्गत राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 की कंडिका 30 (u/s MPLRC-50) के अंतर्गत - श्रीमान अपर कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण क्रमांक 10/2016-17 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दि. 14-5-2018 के विरुद्ध)

महोदय,

निगरानी के संक्षिप्त कारण

यह कि नायब तहसीलदार वृत्त दिगोड़ा जिला टीकमगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 75 बी-121/1994-95 में पारित आदेश दिनांक 19-5-2010 से ग्राम रमपुरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 313/1/3 मिन 1 रकबा 1-225 हैक्टर का पटटा अनावेदक को जारी किया। यह भूमि केन्द्र सरकार की हवाई पटटी बनाने के लिये आरक्षित थी।

भूमि सर्वे क्रमांक 313/1/3 मिन 1 रकबा 1-225 हैक्टर के नजदीक आवेदक के कब्जे की भूमि है जिस पर आवेदक का कुआ बना हुआ है। पटटा प्राप्ति के उपरात अनावेदक ने राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी से मिलकर आवेदक के कब्जे एंव बेपराव की भूमि पर नक्शा तरमीम करा लिया। आवेदक को पटटे का नक्शा तरमीम का तब पता चला, जबकि अनावेदक व्दारा आवेदक के बेपराव की भूमि का कब्जा लेने माह अगस्त 2017 में मौके पर आया और जबरन कब्जे का प्रयास किया। आवेदक

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–3620/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

गंगाराम विरूद्ध सरमन अहिरवार व मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25–04–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री जी.पी. नायक एवं अनावेदक की ओर से श्री पी.के. तिवारी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 75/बी–121/1994–95 में पारित आदेश दिनांक 19–05–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06–06–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 25/4/19	